

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12 ¹¹ / ₁₆	<p>आवेदक द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता। अनावेदक क्रमांक 01 व 02 सहित श्री केशवसिंह गुर्जर अधिवक्ता। अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा श्री आर०के० वाजपेयी अधिवक्ता। प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ।</p> <p>उभय पक्षों की ओर से समझौता करना व्यक्त किया गया। आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से लोक अदालत में समझौते हेतु सहमति का आवेदन पत्र एवं डॉकेट तैयार कर प्रस्तुत किया गया, जिसके मुताबिक उभयपक्षों के मध्य प्रकरण की विचाराधीन सड़क दुर्घटना में आवेदक को पहुंची क्षति के लिए अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी आवेदक को एकमुश्त 22,000/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने पर सहमत हुई, आवेदक उक्त क्षतिपूर्ति राशि से संतुष्ट है। उभयपक्षों द्वारा समझौता स्वेच्छापूर्वक किया जाना पाया जाता है, आवेदक की पहचान श्री अशोक पचौरी आवेदक अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः विचारोपरांत समझौता स्वीकार किया जाता है, समझौते के आधार पर आवेदक के पक्ष में अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी को निर्देशित करते हुए इस आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है, कि अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी आवेदक को कथित दुर्घटना में पहुंची क्षति के एवज में एकमुश्त 22,000/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि विधिवत एक माह के अंदर भुगतान हेतु जमा करे जो राशि आवेदक को उसके राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बचत/चालू खाते के माध्यम से भुगतान की जावे।</p> <p>प्रकरण की कार्यवाही समझौते के आधार पर समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण विधिवत नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार में जमा किया जावे।</p> <p>(पी०सी० आर्य) 12/11/16 पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क्र-20, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश</p> <p>(के०सी० उपध्याय) (सदस्य) खण्डपीठ क्र-20, गोहद जिला भिण्ड</p> <p>(के०पी० राठौर) (सदस्य) खण्डपीठ क्र-20, गोहद जिला भिण्ड</p>	<p>12/11/16</p> <p>22</p> <p>कार्यवाही - 2</p> <p>12/11/16</p>